कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :– जो.वि.प्रा. /

दिनांक

कार्यालय आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यो मे रनिंग बिलो मे से काटी जा रही धरोहर राशि वापिस करने से प्रकरण प्राप्त हो रहे है उनमे प्रायः यह पाया जाता है कि धरोहर राशि वापिस लौटाने के आवेदन पतो की पूर्ति पूर्ण रूपेण नही की जाती है। अनुबन्ध की धारा 37 मे स्पष्ठ प्रावधान है कि भवन निमार्ण कार्य /क्रोस ड्रेनेज/वाटर स्पलाई/सीवरेज योजना की धरोहर राशि 6 माह बाद (कार्य समाप्ति तिथी से) या 1 पूर्व वर्ष ऋतु व्यतीत हो जाने के पश्चात् या डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि पूण होने के पश्चात् जो भी बाद मे हो धरोहर राशि लौटाई जावे। सम्बंधित अभियन्ता वर्ष ऋतु पश्चात् कार्य का निरीक्षण करने के पश्चात् धरोहर राशि लौटाने की अनुशंषा कर सकते है। प्रपत्र मे निर्धारित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षरो का अभाव पाया जाता है। धरोहर राशि लौटाने से पूर्व रोकड़–बुक/धरोहर पंजिका मे भी धरोहर राशि लौटाने का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना न रहे। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अतः समस्त अभियन्ताओ/कनिष्ठ लेखाकारो को निदेशित किया जाता है कि अनुबन्ध की धारा 37 का पूर्णरूपेण से पालना की जाए।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– जो.वि.प्रा./ 503 से 540

दिनाक :– 6/4/2009

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. लेखाधिकारी, जोधपुर विकासे प्राधिकरण, जोधपुर।
5. श्री ...., सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री ...., कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर्र विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. श्री प्रदीप माथुर, श्री बुधाराम चौधरी, श्री सुनिल जैन, कनिष्ठ लेखाकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर